BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Estd. 1926
Vol. XXXXVI | 8th July, 2015 | No. 12

उद्योग के लिए कहीं से भी बिजली लेने की होगी आजादीः मुख्यमंत्री

ऐसा प्रदेश बने बिहार कि दूसरे राज्यों के लोग रोजगार के लिए यहाँ आएँ, क्रय नीति में सरकारी महकमे बिहार की औद्योगिक इकाइयों को प्राथमिकता दें

उद्यमी पंचायत में मंचासीन (बाँयें से) माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, विकास आयुक्त श्री एस. के. नेगी एवं प्रधान सचिव उद्योग श्री त्रिपुरारी शरण।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 जून 2015 को कहा कि बिहार की औद्योगिक इकाइयां अपनी यूनिट के लिए जहाँ से इच्छा हो बिजली ले सकेंगी। ओपेन एक्सेस की व्यवस्था के तहत उन्हें अपनी इच्छा के ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के उपयोग की छूट होनी चाहिए। सरकार इसके लिए नीति बनाएगी। अपने वर्तमान कार्यकाल की आखिरी उद्यमी पंचायत में मुख्यमंत्री ने यह बात कही। उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा कि उद्यमियों के लिए उद्योग विभाग एक टोल फ्री नंबर जारी करेगा, जिस पर उद्यमी अपनी समस्या बता सकेंगे।

बिहार की इकाइयों को मिले प्राथमिकता : मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा सपना है कि बिहार ऐसा प्रदेश बने जहाँ दूसरे प्रदेश के लोग भी रोजगार के लिए आएं। क्रय शक्ति बढ़ेगी तो लोगों को यह दिखने लगेगा कि बिहार में इतना बड़ा बाजार है। लोग उद्योग-धंधे के लिए तत्पर होंगे। बिहार में कच्चे माल की कमी है, पर जापान इसका उदाहरण है कि कच्चे माल की कमी के बावजूद वह उद्योग में अग्रणी है। बाहर की औद्योगिक इकाइयां दो प्रतिशत इंट्री टैक्स देकर बिहार में चली आती हैं। ऐसे में बिहार में उत्पादन के क्षेत्र में लगी इकाइयों को परेशानी होती है। ऐसे में यह जरूरी है कि बिहार की उत्पादन इकाइयों को प्राथमिकता मिले। बिजली क्षेत्र का हाल यह है कि कंडक्टर से लेकर छोटी-छोटी सामग्री तक बाहर की कंपनियां आपूर्ति कर रही हैं। सरकारी महकमे अपने क्रय नीति में यह सुनिश्चित करें कि सामान की खरीद में बिहार की औद्योगिक इकाइयों को प्राथमिकता देंगे। सीमेंट से बने बिजली के पोल पर बिहार में 13.5 प्रतिशत का वैट है। इसे पांच प्रतिशत पर किए जाने पर विचार हुआ।

खाद्य प्रसंस्करण में काफी संभावनाएं : मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की काफी संभावनाएं हैं। यहाँ मखाना के क्षेत्र में नए-नए उद्योग लगे हैं। मखाना को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च सेंटर की स्थापना की गयी है। शहद प्रोसेसिंग इकाइयां लगी हैं। खादी के क्षेत्र में भी हम लगे हैं। बिहार के उद्यमियों को राज्य में उद्योग लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिग टिकट नहीं आएंगे बिहार में निवेश करने। यहाँ की छोटी-छोटी इकाइयों के निवेश से ही बिहार का विकास होगा।

चीनी उद्योग पर संकट : चीनी उद्योग की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बाजार में जितनी चीनी है उससे ज्यादा स्टाक है। चीनी उद्योग के लिए कठिन समय आ गया है। केन्द्र सरकार ने चीनी मिल से एथनॉल बनाने की इजाजत नहीं दी। अगर इजाजत मिलती तो चीनी उद्योग मुनाफे में रहता। उन्होंने कहा कि हमने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि चीनी उद्योग से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर समस्याओं का समाधान करें। उद्यमी पंचायत में अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि, मंत्री, डीजीपी व कई प्रधान सचिव व सचिव मौजूद थे।

(साभार : हिन्दुस्तान, 30.6.2015)

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

ज्ञातव्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल का एक वर्ष पूरा कर लिया है। मैं आप सभी सदस्यों की ओर से उन्हें एक वर्ष पूरा करने लिये बधाई देता हूँ तथा साधुवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि उनका आगे का कार्यकाल और भी अच्छा होगा और उनके नेतृत्व में राष्ट्र और अधिक उन्नति की ओर अग्रसर होगा।

बन्धुओं, आगामी विधन सभा चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है। सभी दल अपनी अपनी नीतियाँ तय कर रहे हैं, योजनाएं बनाई जा रही हैं।

बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या के अनुपात में अनुमानतः 10 प्रतिशत है, जनसंख्या और राज्य के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए हमारी अपेक्षा थी कि केन्द्र सरकार द्वारा बिहार के 10 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में चयन किया जाएगा, लेकिन राज्य के सिर्फ 3 शहरों का चयन किया गया। इसके लिए हम केन्द्र सरकार के आभारी हैं। लेकिन हमारी उम्मीद थी कि आजादी के बाद लगातार उपेक्षित बिहार को अवश्य इसका उचित हिस्सा मिलेगा और केन्द्र सरकार अवश्य इस पर पुनर्विचार करके कम से कम 2 और शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित करेगी।

आपका
ओ. पी. साह
अध्यक्ष

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति मार्च तक बढ़े

उद्यमी पंचायत में बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज ने मांग रखी कि अगले वर्ष मार्च तक के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 को विस्तारित किया जाए वैसे उद्यमी जो इस नीति के तहत अपना उद्योग लगाना चाहते हैं और जिनका वाणिज्यिक उत्पादन 31 मार्च 2016 के बाद शुरू होगा उनके लिए यह विकल्प रहे कि वह वर्तमान नीति या नई नीति दोनों में से जो पसंद हो, उसे अपना सकें।

सहूलियत के लिए : • बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने की मांग • उद्यमी पंचायत में अलग-अलग सेक्टर ने रखी बात।

चैम्बर अध्यक्ष ओपी साह ने कहा कि राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (एस आई पी बी) द्वारा प्रोजेक्ट अनुमोदित होने के बाद भी उद्यमियों को विभिन्न विभागों से क्लियरेंस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चैम्बर का सुझाव है कि जो प्रोजेक्ट एस आई पी बी से मंजूर हैं उन्हें सिंगल विंडो पर सभी विभागों का क्लियरेंस उपलब्ध हो जाए। बिहार में काफी तेजी से बढ़ रहे चाय उद्योग को भी सरकार अपनी उद्योग नीति में शामिल करे, ताकि इसे लाभ मिल सके।

डिस्टीलरी यूनिटों से संबंधित मसले को उठाते हुए सोना सती आर्गेनिक्स के निदेशक रमाशंकर प्रसाद ने कहा कि डिस्टीलरी युनिटों को बिहार राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन से किसी तरह का लाभांश नहीं मिल रहा है। यह लोकहित के विपरीत है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 30.6.2015)

उद्यमी पंचायत में चैम्बर की ओर से जो मांग एवं सुझाव समर्पित किए गये थे, वे चैम्बर कार्यालय में उपलब्ध है। इच्छुक सदस्य उसकी प्रति चैम्बर से प्राप्त कर सकते हैं।

फॉर्म-सी व एफ ऑनलाइन दिलाने की होगी कोशिश: प्रधान सचिव

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सभागार में आयोजित संवाद कार्यक्रम

सदस्यों को संबोधित करतीं वाणिज्य कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी। उनकी बाँयीं ओर क्रमशः वाणिज्य कर अपर आयुक्त श्री अरूण कुमार वर्मा एवं विशेष कार्य पदाधिकारी श्री यतिन कुमार सुमन। दाँयीं ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह, उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं उपाध्यक्ष श्री एम. एन. बरेरिया।

व्ययसायियों को किसी तरह की कठिनाई नहीं होने दी जायेगी। फॉर्म सी एवं एफ व्यवसायियों को समय पर मिले। इसके लिए प्रयास करूंगी। साथ ही यह भी प्रयास होगा कि यह प्रपत्र ऑनलाइन मिले। वैट की प्रतिपूर्ति मद की राशि लैप्स न करें। इसके लिए ऑनलाइन भुगतान का प्रयास होगा।

ये बातें वाणिज्य कर आयुक्त सह प्रधान सचिव श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी ने 30 जून 2015 को चैम्बर सभागार में आयोजित संवाद कार्यक्रम में कहीं। उन्होंने कहा कि व्यवसायियों को अनावश्यक परेशानी न हो। इसके लिए वह धावा दल की गतिविधियों को स्वयं मॉनीटरिंग करेंगी। उन्होंने अंचलों को निर्देश दिया कि अंचलों में व्यवसायियों के बैठने एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था करें। विभाग में अनुभवी व्यक्तियों की टीम बनायी गयी है, जो कार्यशैली को बेहतर बनाने पर अपना सुझाव देंगे। साथ ही चैम्बर के सदस्यों से भी सुझाव मांगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जायेगा।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह ने कहा कि वाणिज्य-कर विभाग के पदाधिकारी ट्रकों की जाँच करते हैं और बिना किसी वैलिड कारण के डिटेन करते हैं। अपीलीय न्यायालय व वाणिज्य-कर न्यायाधिकरण द्वारा पारित फैसले का इफेक्ट डीलर को एक समय सीमा के अंदर देने का निर्देश देना चाहिए, उद्योग के लिए कच्चे माल की खरीद पर प्रवेश कर समाप्त हो, जो अर्थदण्ड लगाया जाता है, उसे कैश जमा करने के लिए बाध्य किया जाता है। एक्ट में बैंक गारंटी देने का प्रावधान है। वैट उपसमिति के चेयरमैन श्री डी. बी. गुप्ता ने ज्ञापन प्रस्तुत किया।

मौके पर वाणिज्य-कर अपर आयुक्त श्री अरूण कुमार वर्मा, वाणिज्य-कर आयुक्त के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री यतिन कुमार सुमन, चैम्बर के उपाध्यक्ष, श्री सुभाष कुमार पटवारी, श्री एम. एन. बरेरिया एवं पूर्व उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष डॉ. रमेश गाँधी, महामंत्री श्री ओ. पी. टिबड़ेवाल उपस्थित थे।

(साभार : प्रभात खबर, 1.7.2015)

स्मार्ट सिटी पर बिहार की क्यों हुई हकमारी

स्मार्ट सिटी में बिहार के मात्र तीन शहरों को शामिल करने के फैसले पर उद्योग संघ हैरान हैं। इस निर्णय का बुझे मन से स्वागत करते हुए संघों ने कहा है कि बिहार की हकमारी हुई है। यह दुखद है। इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। बिहार एक पिछड़ा राज्य है। इस लिहाजे से इसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए था। जबकि इसके उलट यह फैसला नजर आ रहा है। इसकी उम्मीद हमें नहीं थी। इस संबंध में चैम्बर अध्यक्ष की प्रतिक्रिया:

खत्म नहीं हुआ उपेक्षा का सिलसिला: चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ओ. पी. साह ने कहा कि हम इसका स्वागत करते है। पर आबादी के अनुरूप हिस्सेदारी नहीं मिली है। बड़ी बात यह कि बिहार एक पिछड़ा सूबा है। आजादी के बाद से ही लगातार इस राज्य की उपेक्षा होती रही है। यह सिलसिला अब भी खत्म नहीं हुआ है। हमारी अपेक्षाएं भी केन्द्र सरकार से थी। स्मार्ट सिटी के मामले में यह पूरी नहीं हुई है। कम से कम दस शहरों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि बिहार को केन्द्र से काफी आशा है। इस फैसले से मायूसी हुई है। उद्यमियों का मानना है कि इस फैसले पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। **(साभार: दैनिक जागरण, 24.6.2015)**

समय पर कारोबारियों को नहीं मिलता है रेल रैक

गलती किसकी भुगते और कोई। प्रदेश के व्यवसायियों के साथ यही हो रहा है। एक तो समय पर रेलवे का रैक नहीं मिलता है और रेलवे का रैक भी तय स्थान पर समय पर नहीं पहुंचता है। इस कारण वे काफी परेशान हैं। यही नहीं, समय पर रैक खाली नहीं कराने पर पेनाल्टी भी चार्ज किया जाता है। व्यवसायियों का कहना है कि बराबर रेलवे का रैक रात में पहुंचाता है। उस समय न तो मजदूर मिलते हैं और न ट्रक ही मिल पाता है। सामान उतार न पाने की चिंता के साथ रेलवे को जुर्माना के रूप में काफी पैसा देना पड़ता है।

रात में रैक पहुंचने पर व्यवसायियों को परेशानी हो रही है। साथ ही जुर्माना भी देना पड़ता है। रैक खाली कराने के लिए कम -से-कम 15 घंटा का समय देना चाहिए। **– ओ० पी० साह,** अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स

अगर व्यवसायी करेंगे कंप्लेन, तो होगी कार्रवाई : ट्रेनों के लीज का सामान उतारने के लिए 24 घंटे मजदूरों को तैनात किया गया है। यह मजदूर ठेके पर संचालित होते हैं और सामान को प्लेटफॉर्म से गंतव्य जगह तक पहुंचाते हैं। ये कहना है दानापुर मंडल के सीनियर डीसीएम अमिताभ प्रभाकर का। व्यवसायियों की समस्याओं के बारे में उन्होंने बताया कि रेलवे के पार्सल को लीज पर दिया गया है। लीज के ठेका लेने वाले ठेकेदार अपने कर्मचारियों को राउंड ओ क्लॉक ड्यूटी लगाते है। इतना ही नहीं अगर सामान उतारना है। इसकी सूचना गाड़ी के आने से पहले पार्सल बाबू को दे, वह मजदूर लगा कर सामान को गंतव्य तक पहुंचायेंगे। इन लोगों को अगर परेशानी हो रही है या मजदूर नहीं मिल रहे हैं तो लिखित में शिकायत करें, कार्रवाई होगी।

(साभार: प्रभात खबर, 11.6.2015)

बिहार में प्रति व्यक्ति पेपर की खपत काफी कम: आरसीपी

राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह ने कहा कि बिहार में निवेश की असीम संभावनाएं हैं। जो व्यापारी बिहार में अपना कारोबार फैलाएगा उसे नुकसान नहीं होगा, बल्कि अन्य राज्यों से ज्यादा लाभ भिलेगा। राज्य सरकार से भी सुविधाएं मिलेंगी।

होटल मौर्या में 13 जून 2015 को बिहार पेपर मचैट्स एसेसिएशन की तृतीय मैनेजिंग कमेटी की बैठक में श्री सिंह ने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में पेपर की खपत प्रति व्यक्ति काफी कम है। इस बिन्दु पर विचार करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अगले पाँच वर्षों में 25 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। व्यवसायी पेपर इंडस्ट्री में निवेश करें, तो राज्य सरकार भी इसमें पूरा सहयोग करेगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्णनेंदु भट्टाचार्य जी ने बताया कि भारत में प्रति व्यक्ति पेपर की खपत 10 किलो है जबकि अन्य देशों में इससे 10 गुना अधिक है। दूसरी ओर दूसरे देश की तुलना में यहाँ पेपर पर टैक्स अधिक है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ओपी साह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में राज्य सरकार ने शिक्षा के विकास पर काम किया है। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार करवा, गणेश कुमार खेमका, विधान पार्षद ललन सराफ, शंकर कुमार खेमका, पवन सुरेका, कमल नोपानी आदि उपस्थित थे। **(हिन्दुस्तान, 14.6.2015)**

चैम्बर के RTI Cell का निर्णय

1. प्रत्येक RTI करने पर व्यय लगभग 100/- रुपया आता है। इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि चैम्बर से सम्बन्धित या सामूहिक हित से जुड़ी समस्याओं पर किये गये RTI का व्यय चैम्बर द्वारा किया जायेगा और व्यक्तिगत कारणों के RTI पर का व्यय सम्बन्धित सदस्य द्वारा किया जायेगा।
2. सरकार की ओर से RTI ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है जो सुबह 10 बजे से 3 बजे तक चलता है। पर एक प्रोग्राम में कम से कम 12 सदस्यों का होना जरूरी है, तभी कार्यक्रम आयोजित किया जा सकेगा। इस कार्य हेतु श्री प्रकाश सहाय जी को 12 सदस्यों की सूची बनाने हेतु अधिकृत किया गया है। इच्छुक सदस्य श्री सहाय से सम्पर्क कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम 18 जुलाई के बाद कभी भी आयोजित हो सकता है।

व्यवसायियों को मिली राहत

राज्य सरकार ने अति लघु एवं सूक्ष्म उद्यमियों को बड़ी राहत दी है। राहत की बात यह है कि सूक्ष्म एवं अति लघु उद्योग को दो की जगह अब एक प्रतिशत ही केन्द्रीय बिक्री कर देना होगा। इस संबंध में वाणिन्य कर विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके पहले सूक्ष्म एवं अति लघु उद्योग के मालिक कोई एक प्रतिशत तो कोई दो प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर जमा करते थे। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन उद्यमियों ने 12 अक्ट्बर 2006 से 13 मार्च 2013 तक एक प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर जमा किया है, उन्हें उच्च दर पर केन्द्रीय बिक्री कर जमा करने की जरूरत नहीं है। विभाग के अधिकारी ने बताया कि पूर्व से ही उद्योग विभाग में केवल लघु उद्योग को ही परिभाषित किया गया था। **(साभार : हिन्दुस्तान, 10.6.2015)**

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स से 15 महीनों में
500 लड़कियों और महिलाओं ने प्राप्त किया है स्वावलंबन

..... तो अब औरों को बना रहीं आत्मनिर्भर

चैम्बर के कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में कम्प्यूटर प्रशिक्षण ग्रहण करती महिलाएँ।

कभी तंगहाली की शिकार रही सब्जीबाग की जूही अब आत्मनिर्भर है। जॉब आर्डर लेकर घर में ही वह सिलाई, कढ़ाई कर सारा खर्च चला रही है। ट्रेनिंग के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने पर बिहार चौम्बर ऑफ कॉमर्स ने सिलाई मशीन देकर प्रोत्साहित किया था। इसी तरह कंकड़बाग की शोभा जिसने नालंदा स्थित ससुराल में सिलाई सेंटर खोल लिया है। वहाँ वह अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना रही है। उसे भी बेहतर प्रदर्शन करने पर चैम्बर द्वारा सिलाई मशीन दी गई। कुल मिलाकर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स परिसर में चैम्बर के प्रयास से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की सार्थक पहल हो रही है। चैम्बर परिसर में वर्ष 2014 के फरवरी महीने में कौशल विकास प्रशिक्षण केंन्द्र शुरू हुआ था। अब तक यहाँ से करीब 500 लड़कियाँ, महिलाएँ सिलाई, कढ़ाई और कंप्यूटर कोर्स कर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। कुछ तो राजधानी में समूह बनाकर अन्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी हैं।

श्रीमती गीता जैन, अध्यक्ष, आधार महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति इस प्रशिक्षण केन्द्र की समन्वयक हैं।

प्रशिक्षण ले रहीं 80 महिलाएँ : कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र में इस समय करीब 80 महिलाएँ प्रशिक्षण ले रही हैं। यहाँ पर महिलाओं को कपड़े की सिलाई, कढ़ाई के अलावा मेहंदी लगाना, क्विल्ट बैग बनाना सिखाया जाता है। यही नहीं कंप्यूटर कोर्स में रुचि रखने वाली लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर कोर्स चलाए जा रहे हैं। तीन महीने की ट्रेनिंग में इंटरनेट, एक्सल, पावरप्वाइंट, एमएसवर्ड का प्रशिक्षण दिया जाता है। हर एक महीने बाद कंप्यूटर में इंटरनल एग्जाम होता है और तीन महीने बाद फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम के लिए एग्जामनर बाहर से बुलाए जाएंगे। इस समय कंप्यूटर के दो बैच चल रहे हैं, जिसमें 45 लड़कियाँ हैं। बैच अप्रैल 2015 में शुरू हुआ था।

सावन के महीने में सिखाया जाता है मेहंदी लगाना : आर्थिक रूप से कमजोर उन महिलाओं को जो प्रशिक्षण के दौरान बेहतर प्रदर्शन करती हैं, उन्हें चैम्बर की ओर से सिलाई मशीन देकर प्रोत्साहित किया जाता है। सावन के महीने में महिलाओं को मेहंदी की ट्रेनिग दी जाती है। कुछ प्रशिक्षु तो एक सप्ताह की ट्रेनिग में ही निपुण हो जाती हैं। वैसे मेहंदी कोर्स 15 दिन का होता है। लड़कियाँ को सिलाई-कढाई और कंप्यूटर कोर्स सिखाने के लिए चार महिलाओं को नियुक्त किया गया है।

"ज्यादा से ज्यादा महिलाएँ ट्रेनिंग लें और आत्मनिर्भर हों यही हमारा उद्देश्य है। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द हम इस जगह का विस्तार करें। इन दिनों टूल रूम बनाने की योजना पर भी काम हो रहा है।"

– ओ० पी० साह, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स

"आर्थिक स्वावलंबन एक महत्वपूर्ण जरिया है। इससे महिलाएँ सशक्त और अत्मनिर्भर हो सकेंगी। चैम्बर की तरफ से नियोजित करने की व्यवस्था की जा रही है और कई महिलाओं को नियोजित भी किया गया है।"

– मुकेश जैन, चेयरमैन, कौशल विकास उप-समिति

"हर महिला में कुछ न कुछ बेहतर करने की क्षमता होती है, बस उन्हें सही मौका और मंच मिलना चाहिए। हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। ताकि नारी सशक्तीकरण का सपना पूरा हो।" **– गीता जैन,** अध्यक्ष, आधार महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति

(साभार : हिन्दुस्तान 23.6.2015)

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा सभी निबंधित व्यवसायियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 01.07.2015 के प्रभाव से सभी Online VAT Return नये Macro Based Excel Template के माध्यम से ही दाखिल किया जा सकेगा। विभागीय वेबसाइट www.biharcommercialtax.gov.in(https://www.biharcommercialtax.gov.in/bweb/rightMenu.do) से नये Templates को Download किया जा सकता है। इसके क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, बिहार, पटना
(साभार : प्रभात खबर 23.6.2015)

शराब को भी जीएसटी के दायरे में लाने का अनुरोध

शराब कंपनियों ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर संविधान संशोधन विधेयक की समीक्षा कर रही संसदीय प्रवर समिति से पेट्रोलियम की तरह ही शराब को भी जीएसटी में शामिल करने का अनुरोध किया है। विधेयक में कहा गया है कि अगर जीएसटी परिषद सहमत हो तो पेट्रोलियम को जीएसटी के अधीन लाया जा सकता है, जबकि शराब के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में शराब को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए संवैधानिक संशोधन हेतु संसद में दो तिहाई बहुमत की जरूरत होगी।

शराब को अभी तक जीएसटी से बाहर रखा गया है क्योंकि यह राज्य सरकार के राजस्व में 90, 000 करोड़ रुपये का योगदान देती है। इंटरनेशनल स्पिरिट्स ऐंड वाइन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संजय मोहंती ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, 'शराब और पेय उद्योग में लगने वाला कच्चा माल जीएसटी के दायरे में होगा, जबकि इसका उत्पाद राज्यों के उत्पाद शुल्क और बिक्री कर के दायरे में होगा। ऐसे में हम एक बेहतरीन मौका गंवा देंगे।' मोहंती ने कहा कि राज्यों का राजस्व को खोने का डर निराधार है क्योंकि नए कर से दीर्घावधि के हिसाब से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। **(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 24.6.2015)**

जीएसटी: अतिरिक्त कर को स्पष्ट करे सरकार

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर आयोजित राज्य सभा की प्रवर समिति की बैठक में सरकार से मांग की गई कि वह जीएसटी पर एक फीसदी के अतिरिक्त कर को और अधिक स्पष्ट करे। राजस्व विभाग ने समिति के सदस्यों को आश्वस्त किया कि जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकारप्राप्त समिति को मामले की जानकारी है और वह एक महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस बीच अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के एम मणि ने प्रवर समिति को राज्यों के विचारों से अवगत करा दिया।

चयन समिति के 21 सदस्यों ने वाणिज्यिक संगठनों (फिक्की, नैसकॉम), सीओएआई तथा अन्य पेशेवर संगठनों की बात सुनी। सैद्धांतिक तौर पर वे जीएसटी के समर्थन में थे लेकिन उनके कुछ सदस्यों ने एक फीसटी अतिरिक्त कर का मसला उठाया जो विनिर्माण नहीं करने वाले राज्यों के लिए बड़ी चिंता का विषय है।

राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों ने कहा कि अधिकारप्राप्त समिति इस मसले का अध्ययन कर रही थी और वह अपनी रिपोर्ट एक माह की तय अवधि में सौंप देगी। बाहरी विशेषज्ञों से चर्चा के क्रम में आज अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने प्रवर समिति के समक्ष अपनी प्रस्तुति दी।

अब समिति को कोलकाता और चैन्नई जैसे महानगरों का दौरा करना है ताकि जीएसटी के सबसे अहम पक्ष यानी राज्यों का नजरिया भी लिया जा सके। केरल के वित्त मंत्री के एम मणि ने आधिकारिक तौर पर कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि जीएसटी विधेयक पारित हो जाएगा। अतिरिक्त कर के मसले के अलावा अधिकार प्राप्त समिति राज्यों की उन मांगों पर भी विचार कर रही है जिसमें उन्होंने केन्द्र से कहा है कि वह जीएसटी लागू होने के पहले पाँच सालों तक होने वाले उनके राजस्व नुकसान की भरपाई करे। अब तक केन्द्र सरकार ने शुरुआती तीन साल तक राज्यों को पूरी भरपाई करने तथा चौथे और पांचवें साल में आंशिक भरपाई करने की बात कही है। केन्द्र सरकार अप्रैल 2016 में जीएसटी लागू करने की इच्छुक है।

(साभार: बिज़नेस स्टैंडर्ड, 17.6.2015)

करदाता के खाते में सीधे पहुँचेगी रिफंड की राशि

आयकर विभाग ने एक नई योजना पर अमल शुरू किया है जिसमें यह सुनिश्चित होगा कि आयकर रिफंड करदाता के व्यक्तिगत बैंक खाते में यथाशीघ्र और सुरक्षित पहुँचे। आयकर विभाग चाहता है कि कर रिटर्न की जांच-परख होने के बाद यदि रिफंड बनता है तो वह तुरंत करदाता के खाते में पहुँचे।

विभाग मौजूदा व्यवस्था के तहत 50,000 रुपये मूल्य से अधिक का आयकर रिफंड चेक के रूप में डाक विभाग के जरिए भेजता है। वह इस मौजूदा व्यवस्था को समाप्त कर पूरी तरह बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करना चाहता है। हालांकि जिन करदाताओं के खाते का रिकॉर्ड आयकर विभाग के रिकॉर्ड में मौजूद है, उनके खाते में रिफंड आता है, लेकिन यह व्यवस्था अनिवार्य नहीं है। सीबीडीटी की चेयरपर्सन अनिता कपूर ने बातबीत के दौरान कहा कि इस आशय की योजना पर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जा रहा है और इसका उद्देश्य रिफंड मामले में करदाताओं की शिकायतों को समाप्त करना है। उन्होंने कहा कि केन्दीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने गलत रिफंड होने या रिफंड नहीं मिलने की समस्या जारी रहने पर बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक के संपर्क में है। उन्होंने बताया कि विभाग की मंशा है कि किसी करदाता के खाते में रिफंड डालने से पहले उक्त करदाता की खाता संख्या के साथ-साथ उसके नाम का मिलान भी कर लिया जाए। **(हिन्दुस्तान, 24.6.2015)**

बिहार में बाहर की चीनी पर प्रवेश कर!

बिहार सरकार अब राज्य के बाहर से आने वाली चीनी पर प्रवेश कर (इंट्री टैक्स) लगाने की सोच रही है। दर असल, मिल मालिक बीते कई साल से मोटे घाटे का हवाला देते हुए इस बारे में राज्य सरकार से गुहार लगाते रहे हैं। राज्य सरकार इस

बाबत में महीने के अंत तक फैसला लेगी।

राज्य सरकार के सूत्रों के मुताबिक बिहार में दूसरे राज्यों से चीनी की आमद को देखते हुए प्रवेश कर लगाने का फैसला लिया गया है। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'बिहार में दूसरे राज्य से भारी मात्रा में चीनी आती है। इस चीनी की कीमत राज्य में उत्पादित चीनी से काफी कम होती है। इस वजह से एक तरफ जहाँ बिहार में उत्पाति चीनी बिक नहीं पाती है, तो वहीं दूसरे राज्यों के चीनी मिलों को फायदा होता है, इसीलिए हमने इस बारे में कदम उठाने का फैसला लिया है। इसके तहत हमने दूसरे राज्यों से चीनी लाने पर 4 फीसदी की दर से प्रवेश कर लगाने पर विचार कर रहे हैं। इस बारे में अभी विस्तार से चर्चा की जाएगी, जिसके बाद हम राज्य मंत्रिमंडल के पास इस बारे में कोई ठोस प्रस्ताव भेजेंगे।'

सूत्रों के मुताबिक अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो इससे राज्य सरकार को करीब 200 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। साथ ही, राज्य में चीनी मिलों के लिए अपनी चीनी की खपत करना भी आसान हो जाएगा। राज्य चीनी मिलों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है।

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 18.6.2015)

GOVT PROPOSES TAX BREAKS FOR DEBIT, CREDIT CARD PAYMENTS

Plastic trail to Clamp Down on Black Money

The government has proposed income tax rebates for consumers who use debit and credit cards to make their payments, among a string of other measures aimed at moving towards a cashless economy and reducing tax avoidance.

SWIPE & SAVE

Draft proposals to incentivize payment through debit and credit cards.

- **Convenience fee,** service charge, surcharge on card payments at petrol pumps, gas agencies and railway tickets **may go**
- **Tax rebate ro merchants** if substantial proportion of transactions are electronic or 1-2% cut in VAT
- Discount on **e-payment of utility bills**. Reduction of supplementary charges levied on mobile banking and electronic payments

(Details: Times of India, 23.6.2015)

प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिजर्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

इ-मेल email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस. मार्ग, मुंबई-400001

फोन : 91 22 22660502 / फैक्स : 91 22 22660358

June 25, 2015

RBI extends the Date for Withdrawal of Pre-2005 Series Banknotes

The Reserve Bank of India has extended the date for the public to exchange their pre-2005 banknotes till December 31, 2015. It had, in December 2014, set the last date for public to exchange these notes as June 30, 2015.

Soliciting cooperation from members of public in withdrawing these banknotes from circulation, the Reserve Bank of India has urged them to deposit the old design notes in their bank accounts or exchange them at a bank branch convenient to them. The Reserve Bank has stated that the notes can be exchanged for their full value. It has also clarified that all such notes continue to remain legal tender.

Explaining the move, the Reserve Bank said that the banknotes in Mahatma Gandhi series have now been in circulation for a decade. A majority of the old banknotes have been withdrawn through bank branches. It has, therefore, decided to withdraw the remaining old design notes from circulation. Not having currency notes in multiple series in circulation at the same time is a standard international practice, the Reserve Bank has pointed out.

The Reserve Bank will continue to monitor and review the process so that the public is not inconvenienced in any manner.

Alpana Killawala

Press Release : 2014-201512751 Principal Chief General Manager

एसी रेस्टोरेंट को ही देना होगा सेवा कर

एसी की सुविधा वाले रेस्टोरेंट, मेस व अन्य को ही सर्विस टैक्स देना होगा। वित्त मंत्रालय ने यह साफ करते हुए कहा है कि गैर एसी होने पर यह टैक्स नहीं देना होगा। उन्हें इससे पूरी तरह से छूट प्राप्त है। वित्त मंत्रालय ने गैर वातानुकूलित रेस्टोरेंट, मेस, कैंटीन व अन्य पर सर्विस टैक्स वसूले जाने को लेकर उपजे भ्रम को दूर करने के लिए एक स्पष्टीकरण जारी किया है।

(साभार: हिन्दुस्तान, 10.6.2015)

हर तीन साल पर दें केवाइसी

आपडेट नहीं कराने पर बैंक खाते पर लगेगी रोक

अगर आपका किसी बैंक में खाता है, तो आपके लिए जरूरी खबर हैं। ऐसे बैंक उपभोक्ताओं को केवाइसी अपडेट कराना जरूरी है। आम तौर पर बैंक हर तीन साल पर केवाइसी मांगता है, लेकिन ग्राहक खुद भी हर तीन साल पर केवाइसी अपडेट करा सकते हैं। आपका स्थायी निवास है फिर भी केवाइसी अपडेट कराना जरूरी है। इसके पीछे बैंकों का मानना है कि कई लोग ऐसे होते हैं, जो किसी अन्य काम से शहर से बाहर रहने लगते हैं। अस्थायी पते पर रहने वाले लोगों के लिए भी यह जरूरी है। इसके लिए एक फोटो आइडी व एक एड्रेस प्रूफ जरूरी है।

केवाइसी के लिए कागजात

पहचान पत्र के लिए : पैन कार्ड, वोटर आइडी, पासपोर्ट, सरकारी या सेना के आइडी काई, ड्राइविंग लाइसेंस पोस्ट ऑफिस से जारी फोटो आइडी, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जारी आइडी कार्ड शामिल है।

आवासीय के लिए : बिजली व टेलीफोन बिल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लांइसेंस, वोटर आइडी, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, सैलरी स्लिप, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, राशन कार्ड, क्रेडिट काई स्टेटमेंट में से कोई एक।

हर तीन साल पर केवाइसी अपडेट करा लेने से बैंक को भी काम में आसानी होती है। संबंधित उपभोक्ता की पहचान होती है।

–मनोज वर्मा, क्षेत्रीय निदेशक (बिहार-झारखंड), आरबीआई

(साभार: प्रभात खबर, 19.6.2015)

प्रभारी मंत्री लेंगे बैंकिंग कमेटी की बैठक

राज्य सरकार ने प्रदेश में बैंकिंग सुविधाओं से ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए इसकी कार्यशैली की निरंतर मॉनीटारिंग करने की जिम्मेवारी सभी जिलों के प्रभारी मंत्री को सौंपी है। जिला स्तर पर प्रत्येक महीने या दो-तीन महीने पर होनेवाली डीएलसीसी (जिला स्तरीय को-ऑडिनेशन कमेटी) की बैठक की अध्यक्षता संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री करेंगे। इसमें जिले के सभी बैंकों के कार्यप्रणाली की समुचित समीक्षा की जायेगी। पहले यह बैठक डीएम की अध्यक्षता में होती थी। इसके अलावा वित्त विभाग ने राज्यके सभी बैंकों के लिए पाँच बातों में सुधार करने के लिए कहा है। इनपर ध्यान देकर बैंकिंग सुविधा को बेहतर और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे लाभ दिलाया जा सकता है। हाल में सीएम की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) की बैंठक में इन पर चर्चा हुई थी। बैठक में सीएम ने भी बैंकों को लोन देने समेत अन्य कई बातों पर खासतौर से ध्यान देने के लिए कहा था। वित्त विभाग ने पाँच बिंदुओं पर फोकस कर अपनी कार्यप्रणाली को सुधारने का आदेश सभी बैंकों को जारी किया है।

इन पाँच बातों पर बैंक करें फोकस

- वितीय वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक साख योजना (एसीपी) को 80 हजार करोड़ से बढ़ा कर एक लाख करोड़ करना। सभी बैंकों को चालू वितीय वर्ष के दौरान दिये गये टारगेट को बढ़ाने के लिए कहा गया है। टारगेट अधिक होने से प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ज्यादा लोगों को आसानी से कर्ज मिल सकेगा और बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिल प्रायेगा।
- पाँच हजार से अधिक आबादी वाली सभी पंचायतों में बैंक की शाखा खोलने के लिए कहा गया है। राज्य में 5 हजार 298 पंचायतें ऐसी हैं, जहाँ बैंक की कोई शाखा नहीं है। अभी तक सिर्फ 3 हजार 173 पंचायतों में ही बैंक की शाखा खुल पायी है। दो हजार से कम आबादी वाले 27 हजार 343 गांवों में बैंकिंग सुविधा मार्च 2016 तक उपलब्ध करानी है।
- कृषि ऋण की अवधि को भध्यम और दीर्घ अवधि के लोन में बदलने की योजना है। इसके लिए कृषि विभाग से भी योजना तैयार करके देने के लिए कहा गया है। वर्तमान में केसीसी समेत अन्य सभी माध्यमों से किसानों को जो लोन मिलता है। वह कम अवधि या शॉर्ट टर्म के लिए होता है । कर्ज की अवधि ज्यादा होने से किसानों पर मानसिक दवाब कम रहता है।
- स्वयं सहायता समूह (एसएसजी) की पहली और दूसरी किस्त को दोगुणा करने के लिए आरबीआइ (भारतीय रिजर्व बैंक) से अनुरोध किया गया है। पहली और दूसरी किस्त अधिक जारी करने से एसएसजी की महिलाओं को अपना स्वरोजगार या

अन्य कार्य को शुरू करने में काफी मदद मिलेगी। इन पर साहूकारों से लोन लेने की विवशता खत्म होगी। इससे लोन के रुपये का सही उपयोग भी हो सकेगा।

• जिला स्तर पर बेहतर बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता के अनुश्रवण तथा आवंटित वार्षिक लक्ष्यों की समीक्षा के लिए आयोजित डीएलसीसी की बैठक की अध्यक्षता अब संबंधित जिला के प्रभारी मंत्री करेंगे। **(साभार: प्रभात खबर, 22.6.2015)**

शाखा खोलने में बैंक नहीं दिखा रहे दिलचस्पी

बैंक बिहार में साख जमा अनुपात बढ़ाने व कर्ज देने में ही कोताही नहीं बरतते हैं, बल्कि राज्य में अपनी शाखा खोलने में भी दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। व्यावसायिक बैंकों से बेहतर स्थिति ग्रामीण बैंकों की है। ग्रामीण बैंकों ने शत-प्रतिशत अपने लक्ष्य को पूरा किया। वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य में कुल 600 बैंक शाखा खोलने का लक्ष्य था, जबकि खुला मात्र 389. व्यावसायी बैंकों को 500 शाखाएं खोलनी थी। लेकिन उसकी जगह खुला 284.

शाखा खोलने का लक्ष्य व बैंकों की उपलब्धि

व्यवसायिक बैंकों की स्थिति

बैंक	लक्ष्य	उपलब्धि
एसबीआइ	50	28
सेंट्रल बैंक	38	06
पंजाब नेशनल बैंक	44	19
केनरा बैंक	40	40
यूको बैंक	26	10
बैंक ऑफ बड़ौदा	30	11
यूनियन बैंक	25	11
बैंक ऑफ इंडिया	45	**32**
इलाहाबाद बैंक	30	**29**
बैंक ऑफ महाराष्ट्रा	08	**00**
इंडियन बैंक	09	**09**

ग्रामीण बैंकों की स्थिति

बैंक	लक्ष्य	उपलब्धि
मध्य बिहार ग्रामीण बैंक	60	54
बिहार ग्रामीण बैंक	30	30
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक	10	11

(साभार: प्रभात खबर, 18.6.2015)

एटीएम कार्ड न भी हो तो कोई दिक्कत नहीं

कार्डलेस कैश **एटीएम में नकद कोड और मोबाइल नंबर दोनों में प्रवेश करने के बाद कैश कर सकेंगे विड्रॉ**

कार्डलेस कैश विड्रावल के लिए सभी बैंकों ने अपनी-अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुछ बैंक विशेष एटीएम मशीन लगाएंगे और कुछ बैंक अपने वर्तमान एटीएम में सॉफ्टवेयर की तकनीकी बदलाव से यह सुविधा देने के पक्ष में है।

इन्हें नकद निकासी सक्षम एटीएम मशीन कहा जाएगा। यह सुविधा उस वक्त के लिए कारगर है जब आप यात्रा में हों अपने शहर से बाहर हों और आपके पास आपका कार्ड नहीं हो। नकद पानेवाले एक बैंक के ग्राहक भी हो सकते हैं और अलग अलग बैंक के भी। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 22.6.2015)**

दस रुपये का नया नोट जारी करेगा आरबीआइ

भारतीय रिजर्व बैंक दस रुपये मूल्यवर्ग का नया नोट जारी करेगा। आरबीआइ के गवर्नर डॉ. रघुराम जी राजन द्वारा हस्ताक्षरित इन नोटों के अग्रभाग और पृष्ठ भाग पर रुपये का चिह्न ₹ होगा। इन बैंक नोटों के दोनों संख्या पटलों में इनसेट लेटर 'यू' होगा। इसके पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष 2015 अकित होगा। जारी किए जाने वाले इन नोटों की डिजाइन महात्मा गाँधी श्रृंखला- 2005 के अंतर्गत पूर्व में जारी 10 रुपये मूल्यवर्ग बैंकनोटों के समान होगी। **(साभार : दैनिक जागरण, 18.6.2015)**

उद्यमी पेटेंट से जुड़े उद्योग लगाएं, सरकारी मदद पाएं

मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने सीएसआई आर और आईआईएस के तकनीकों के पेटेंट नए उद्यमियों को देने का फैसला किया है।

'डिजाइन क्लीनिक' करेगा मदद: उद्यमी अगर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (सीएसआईआर) व इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (आईआईएस) की पेटेंट तकनीक चाहता है तो उसे केंद्रीय सूक्ष्य, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की 'डिजाइन क्लीनिक' से संपर्क करना होगा। वे आपको उद्योग शुरू करने में सरकारी मदद देंगे। आपकी तैयारियों का जायजा लेने के बाद वे तकनीक का पेटेंट आपको देने की सिफारिश करेंगे। ऐसे में सीएसआईआर व आईआईएस तकनीक से संबंधित सभी जानकारी मुहैया करा देंगे। पेटेंट पाने के लिए उद्यमी को सिर्फ तय राशि का 40% देना होगा। शेष 60% मंत्रालय चुकाएगा। साथ ही सरकार तकनीक समझाने के लिए विशेषज्ञ भी मुहैया कराएगी ताकि कोई दिक्कत न हो।

(साभार : हिन्दुस्तान, 19.6.2015)

निवेशकों की पसंद बना पटना

बिहार में 38 जिले हैं, पर नये-नये उद्योग लगाने में देशी-विदेशी और बिहार के उद्यमियों के लिए आज भी पटना सबसे अधिक सुरक्षित और पसंदीदा जिला बना है। मई, 2015 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत 47 नये उद्योग लगाने के प्रस्ताव उद्योग विभाग को मिले हैं, जिनमें सर्वाधिक प्रस्ताव, यानी 25 इंडस्ट्री लगाने के प्रस्ताव पटना के लिए आये हैं। गया, दरभंगा, मधुबनी, बक्सर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सीवान, बेतिया और बांका जैसें में कोई उद्यमी नया इंडस्ट्री लगाने को आगे नहीं आ रहा, जबकि इन जिलों में फूड, मोटर्स पाट्र्स फर्टिलाइजर और कृषि यंत्रों की फैक्टरी लगाने की पूरी गुंजाइश है। बिहार में नये उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग विभाग ने सभी जिलों में जागरूकता शिविर लगाने का फैसला लिया है।

मई, 2015 में औद्योगिक निवेश के आये प्रस्ताव

जिला	प्रस्ताव	जिला	प्रस्ताव	जिला	प्रस्ताव
पटना	25	औरंगाबाद	02	मोतिहारी	01
भागलपुर	05	कैमूर	02	गोपालगंज	01
मुजफ्फरपुर	04	बेगूसराय	01		
हाजीपुर	03	सहरसा	01		

पिछले महीने समीक्षा बैठक में उद्योग मंत्री श्याम रजक ने सभी जिलों में औद्योगिक जागरूकता शिविर लगाने का निर्देश जिला उद्योग महाप्रबंधकों को दिया था। उद्योग विभाग जुलाई से जागरूकता शिविर लगाने की योजना बना रहा है। पटना में पाइप, हेचरी, एग्रो, पेपर, मेटल, पॉलीटेक, प्रिंट ग्राफिक्स, स्टील, और कंप्यूटर, जबकि बेगूसराय में ग्रीन ब्रिक्स और मुजफ्फरपुर में टोबैको और पॉली ट्यूब फैक्टरी लगाने को उद्यमियों ने आवेदन दिये हैं। उद्योग विभाग के मानकों पर खरा उतरने के बाद इन उद्यमियों को कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत कुल लागत पूंजी का 35 प्रतिशत राशि उद्योग विभाग मुहैया कराता है। औद्यागिक प्रोत्साहन नीति के तहत कैपिटल सब्सिडी लेने के लिए उद्यमियों को सेल्स टैक्स क्लियरेंस, इंडस्ट्री पोजेक्ट, बैंक स्टेटमेंट सहित अन्य डाक्यूमेंट्स मुहैया कराने पड़ते हैं। **(साभार : प्रभात खबर, 17.6.2015)**

खगड़िया, बक्सर, रोहतास में खुलेंगे फूडपार्क : रजक

उद्योग मंत्री बोले, खाद्य पैकेजिंग उद्योग की बिहार में अपार संभावनाएँ

उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा है कि जल्द ही में राज्य में तीन फूड पार्क खुलेंगे। प्रिस्टाइन मेगा फूड पार्क खगड़िया, मम्स मेगा फूड पार्क बक्सर और जेवीएल मेगा फूड पार्क रोहतास की मंजूरी केन्द्र से मिल गई है। इससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को और बल मिलेगा। साथ ही इस काम के प्रति दिलचस्पी लेने वालों के लिए रोजगार के व्यापक अवसर भी सृजित होंगे।

उद्योग विभाग व भारतीय पैकेजिगं संस्थान की ओर से 'पैकेजिंग ऑफ फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फूड' विषय पर आयोजित सेमिनार में मंत्री ने कहा कि खाद्य पैकेजिंग का चलन बिहार में पटना, गया, मुजफ्फरपुर व भागलपुर जैसे शहरों में देखने को

मिल रहा है। समय की बचत व डब्बा बंद होने के कारण उत्पादों के प्रति लोगों को अधिक विश्वास होता है। दूध, अचार, जूस व विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थ इसके उदाहरण हैं। पैकेजिंग को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में सुविधा होती है। यह खाद्य सामग्री के पोषक तत्वों, खाने के बारे में अन्य जानकारी जैसे उत्पादन की तिथि व उसके खाने योग्य नहीं होने की तिथि की भी जानकारी देता है।

श्री रजक ने कहा कि आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण तकनीक ने आज के सूपर मार्केट के विकास की संभावनाओं को बल दिया है। कार्यक्रम में भारतीय पैकेजिंग संस्थान कोलकाता के क्षेत्रीत्र प्रमुख विधान दास, क्षेत्रीय अध्यक्ष देवाशीष दास गुप्ता ने उद्यमियों व सहभागियों के महत्व के बारे में बताया। तकनीकी सत्र में हैंडलूम निदेशक दिनेश कुमार, तकनीकी विकास के निदेशक रवीन्द्र प्रसाद सहित उद्योग विभाग के अन्य अधिकारियों ने भी विचार रखे। **(साभार: हिन्दुस्तान, 18.6.2015)**

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

आओ बिहार राज्य में नई औद्योगिक इकाइयों एवं तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तथा भू-अर्जन एवं सरकारी जमीन उपलब्ध कराने में हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना बनाई नई है जिसे **"आओ बिहार"** का नाम दिया गया है।

राज्य के निवासियों को सूचित किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह दो एकड़ या उससे अधिक भूमि के स्वामी हैं तथा अपनी जमीन उद्योग अथवा संस्थान हेतु बिक्री करना चाहते हैं तो वे अपने जिला के जिलाधिकारी के यहाँ संबंधित जमीन के ब्यौरे के साथ सूचीबद्ध करा सकते हैं।

- इसके लिए भू-धारी को अपनी जमीन का विक्रय मूल्य बताना होगा।
- विक्रय भूल्य का निर्धारण भू-धारी अपने स्वविवेक से करेंगे।
- इस संबंध में उन्हें एक Undertaking देना होगा कि निंबधन तिथि से लेकर एक निर्धारित अवधि (उदाहरणार्थ छ: माह) तक के लिए यह विक्रय दर मान्य होगा।
- तदोपरांत जिला प्रशासन द्वारा जमीन की मिल्कियत / विवादमुक्त होने आदि की जाँच कर अंतिम रूप से सुचीबद्ध किया जायेगा।
- प्रथम चरण में इसकी सूचना बियाडा (BIADA) को भेजी जाएगी तथा बियाडा द्वारा इसे वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।
- सूचना अपलोड करने के पश्चात् राज्य सरकार विज्ञापनों के माध्यम से सभी संभावित को सूचित करेगी कि राज्य के विभिन्न जगहों में पंजीकृत एवं विवादमुक्त भूमि विक्रय हेतु उपलब्ध है।
- यदि वे निवेश करने के इच्छुक हों तो संबंधित भू-धारी से संपर्क कर सकते हैं।
- यदि वे पंजीकृत जमीनों पर निवेश करते हैं तो औद्योगिक नीति के आलोक में उन्हें स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क में 100 प्रतिशत की निर्धारित छूट मिलेगी एवं नीति में जो अन्य लाभ हैं वह भी मिलेंगे।
- इस प्रकार सरकार की भूमिका सम्पर्क सूत्र की होगी ताकि निवेशकों को जमीन क्रय करने में कठिनाई न हो, साथ ही भू-धारी को अपनी इच्छा अनुसार विक्रय मूल्य भी मिले।
- उक्त योजना में अपनी भागीदारी दर्ज कर राज्य के विकास में अपना योगदान दें।

इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए सचिव, बियाडा, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना से संपर्क किया जा सकता है। **(साभार : टाइम्स ऑफ इंडिया, 20.6.2015)**

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में काम करें, मदद देंगे

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्यमियों का आह्वान किया कि बिहार में वे खाद्य प्रंसस्करण सेक्टर में काम करने का मन बनाएं, सरकार पूरी मदद करेगी। एसोचैम के तत्वावधान में आयोजित एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग कॉक्लेव के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ने यह बात कही।

मुखमंत्री ने कहा कि बिहार में कृषि क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। बिहार का विकास कृषि के विकास पर निर्भर है। इसी को ध्यान में रख उनकी सरकार ने कृषि रोडमैप बनाया। आरंभ में बेहतर बीज के प्रयोग पर काम शुरू हुआ। सीड रिप्लेसमेंट रेट बढ़ने से चार वर्षो में बिहार में कृषि के उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। कृषि रोड मैप में किसानों की आमदमी बढ़ाने की बात को फोकस में रखा गया है। अगर फूड़ प्रोसेसिंग सही तरीके से हो तो बड़े स्तर पर फलों और सब्जियों को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। बिहार के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट काफी अहमियत रखती है। वहाँ का सारा मक्का बाहर चला जाता है। बाहर में जाकर इसकी प्रोसेसिंग होती है। दो लाख टन लीची का उत्पादन होता है, मखाना तो कहीं और मिलेगा ही नहीं। बिहार का ही मगही पान पूरे देश में मिलता है। उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा कि बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिटों को 35 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है।

(साभार: हिन्दुस्तान, 19.6.2015)

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

मुख्यमंत्री सुक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना

राज्य में आर्थिक विकास एवं स्वरोजगार सृजन के क्षेत्र में सुक्ष्म एवं लघु उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रक्षेत्र से जुड़े उद्यमियों/कारीगरों को नई तकनीक सुलभ नहीं रहने के कारण वे परंम्परागत तकनीक से उत्पादन एवं विपणन कर रहें हैं जिससे ये प्रतिस्पर्द्धात्मक रूप से उत्पादों का सही मूल्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इस दिशा में उद्यमियों को वित्तीय सहयोग करने हेतु राज्य सरकार द्वारा "मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना" लागू किया गया है जिसके तहत निम्नलिखित प्रावधान हैं-

- सूक्ष्म एवं लघु उद्योग से जुड़े उद्यमियों एवं कारीगरों के समूह SPV हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र (CFC) की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
- सामान्य सुविधा केन्द्र के अंतर्गत नई तकनीक के प्लांट/मशीनरी, पैकेजिंग व्यवस्था, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु हिजाइन एवं जाँच केन्द्र, कच्चा माल डिपो इत्यादि की स्थापना करना।
- उद्यमियों एवं कारीगरों को एक समूह बनाकर कम्पनी एक्ट अथवा सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एस. पी. भी. (SPV) के रूप में निर्बंधित कराना होगा।
- सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना पर कुल परियोजना लागत का 90% (अधिकतम सीमा रु. 10.00 करोड़) राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी। सामान्यत : शेष 10% एस. पी. भी. का अंशदान होगा। विशेष परिस्थिति में BPL को CFC निर्माण में 100% तक अनुदान दिया जाएगा।
- प्रोजेक्ट मोनेटरिग एजेंसी एस. पी. भी. (SPV) के गठन एवं निबंधन तथा परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में एवं पूरे परियोजना के क्रियान्वयन में SPV को सहायता प्रदान करेंगे।
- DPR पर राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरांत स्वीकृत राशि चार किश्तों में यथा-10%, 40%, 40% एवं 10% भुगतान किया जाएगा।

विशेष सूचना के लिए सम्पर्क करें :

उद्योग विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, द्वितीय तल, बेली रोड, पटना-15

(साभार: दैनिक भास्कर, 17.6.2015)

केवाईसी भरें और पाएं बिजली बिल में छूट

केवाईसी (नो योर कस्टमर) फॉर्म भरें और बिजली बिल में छूट पाएं। यह ऑफर बिजली कंपनी ला रही है। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने विद्युत विनियामक आयोग को यह प्रस्ताव दिया है। 25 जून को आयोग इस पर सुनवाई करेगा। अब तक गैस एजेंसी व बैंकों ने ग्राहकों से केवाईसी फॉर्म भरवाए हैं। लेकिन, जब बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं का डाटा कलेक्ट करना शुरू किया तो परेशानी होने लगी। एक साल से अधिक समय हो गए पर कुछ लाख लोगों का ही डाटा कलेक्ट हो सका है। यह देख कंपनी ने प्रस्ताव बनाया है कि अगर राज्य के उपभोक्ता केवाईसी फॉर्म भरकर कंपनी को देंगे तो उन्हें अगले बिल में पाँच रुपए की छूट मिलेगी। 31 जुलाई तक केवाईसी भरने वालों को यह छूट मिलेगी। राज्य के 54 लाख उपभोक्ताओं को योजना का लाभ देने पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे। इसके तहत संपर्क नंबर, ई-मेल व सही पता होने से लोगों को समय पर बिजली बिल मिलेगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 17.6.2015)

उद्यमियों को ब्याज पर अनुदान के निर्णय को बनी समिति

उद्यमियों को राहत : उद्यमियों को ब्याज पर अनुदान कैसे मिले, यह उद्योग विभाग की समिति तय करेगी। सरकार ने उद्यमियों की सुविधा के लिए अलग-अलग तीन समिति बनाई है। राज्य सरकार वैसे उद्योग जो जनवरी 2015 के बाद शुरू हुए और कर्ज ले रखे हैं, को दो फीसदी ब्याज अनुदान दे रही है।

प्रधान सचिव त्रिपुरारी शरण के आदेश से बनी तीनों समिति औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत बने नियमों का पालन सुनिश्चित करेगी। बड़ी इकाइयों को अनुदान देने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष उद्योग विभाग के प्रधान सचिव को बनाया गया है। समिति में वाणिज्यकर विभाग के प्रधान सचिव, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन (बीआईए) के प्रतिनिधि, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि को सदस्य बनाया गया है। तकनीकी विकास के निदेशक को सदस्य संयोजक तो एक पर विशेष आमंत्रित सदस्य को रखा गया है। बड़ी यूनिट लगाने वाले उद्यमी इसी समिति के समक्ष ब्याज के लिए अपना आवेदन देंगे। सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग के लिए उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। इस समिति में तकनीकी विकास के निदेशक, उप सचिव, बी आईए के प्रतिनिधि, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि, संयुक्त उद्योग निदेशक, उद्योग मित्र के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को सदस्य तो उद्योग विभाग के उप निदेशक को सदस्य संयोजक बनाया गया है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 18.6.2015)

तुरन्त		पूर्व मध्य रेल	प्रेस प्रकाशनी
Immediate		East Central Railway	Press Release

Changes in Freight Incentive Schemes

Hajipur - 30.06.15

The freight incentive schemes available earlier to 16th June, 2015 were (i) Incentive Scheme for loading of bagged consignment in open and flat wagons, (ii) Incentive Scheme for Traditional Empty Flow Direction, (iii) Incentive Scheme for Freight Forwarders and (iv) Incentive Scheme for Incremental Traffic.

These schemes have been reviewed. While incentive scheme for Incremental traffic and bagged consignment on flat open wagons have been completely discontinued, incentive scheme for Freight Forwarders has been retained in its previous format.

However, if railway has given commitment to any customer as per the prevalent Freight Incentive Scheme(s), the same will lapse after the expiry of the validity period.

Incentive scheme for empty flow direction has been revamped with the title "Automatic Freight Rebate Scheme for traffic loaded in Traditional Empty Flow Direction" with effect from 25.06.2015.

The benefits of revamped new scheme are :

I. This does not require separate application from the customer. If the booking is in the notified Traditional Empty Flow Direction the rebate will be available automatically to the customers through computerized FOIS system.
II. This is available for the lead distance above 200 KM instead of 500 KM in earlier scheme.
III. The incentive is in the form of lower class rate (LR-1) for instead of slab wise rates in the earlier scheme.
IV. The minimum acceptable offer of the traffic is the half rake instead of block rake in the earlier scheme.

These instructions will remain valid up to 31.03.2016.

COM, CCM and FA&CAO of the concerned Zonal Railway will conduct a monthly review and audit of the scheme to assess the efficacy of the scheme. The results of the review will be submitted to Railway Board for information. An appreciation report on the experiences will be sent at the end of 6 months i.e. in January 2016. The Ministry will than take decision on its continuation.

The new incentive scheme is expected to be beneficial to both, Indian Railways and its customers.

(Arvind Kumar Rajak)
Chief Public Relations Officers

बधाई

सहर्ष सूचित करना है कि चैम्बर के सदस्य श्री सावल राम ड्रोलिया जो चैम्बर के मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति (DRUCC) पूर्व मध्य रेल, दानापुर मंडल के सदस्य हैं, को मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति की दिनांक 18.6.2015 को सम्पन्न बैठक में सर्वसम्मति से जोनल रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति (ZRUCC) पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर का सत्र 2014-16 हेतु सदस्य निर्वाचित किया गया है। चैम्बर की ओर से श्री ड्रोलिया को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

बेफिक्र रहें ! नहीं बढ़ेगा आपका आपका बिजली बिल

बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने 18.6.2015 को जनसुनवाई के बाद साफ कर दिया कि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा। बिजली की टैरिफ में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। आयोग के अध्यक्ष यूएन पंजियार ने कहा कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने 2015-16 में होने वाले आपेक्षित खर्च एवं 2014-15 के गैप को खत्म करने के लिए रिव्यू पिटिशन दायर किया है। जिसपर जुलाई में आयोग फैसला सुनाएगा। इससे पहले विनियामक आयोग के कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की ओर से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के चीफ इंजीनियर राजीव अमित ने पक्ष रखा। उपभोक्ताओं की तरफ से बीआईए एनर्जी कमेटी के चेयरमैन संजय भरतिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष सुभाष पटवारी व चैम्बर एनर्जी सब- कमेटी के सदस्य उमेश पोद्दार ने पक्ष रखा। (साभार : दैनिक भास्कर, 19.6.2015)

एक छत के नीचे मिलेंगी शिल्पकारों की कृतियाँ

बिहार के बुनकर, चित्रकार और शिल्पकारों के कपड़े, चित्र और मूर्तियां सहित अन्य प्रोडक्ट्स बिहार के लोग अब पटना में एक ही जगह खरीद सकेंगे। पटना के पाटलिपुत्रा में उद्योग विभाग ने 'पटना हाट' का निर्माण कराया है। उद्योग विभाग ने 2.42 करोड़ की लागत से पटना हाट का निर्माण कराया है। हाट का निर्माण अंतिम चरण में है। हाट निर्माण का काम 15 जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। पटना हाट में कुल 25 दुकानें होंगी। दुकानें किसी व्यापारी या सेल्स मैन को नहीं, बल्कि सिर्फ बुनकर, शिल्पी या चित्रकारों को ही दी जायेगी। पटना हॉट पर उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान का नियंत्रण होगा। (विस्तृत : प्रभात खबर, 22.6.2015)

जहाँ चेक बाउंस वहीं मुकदमा दर्ज

इस संबंध में इंडिया गजट संख्या 29 दिनांक 15 जून 2015 माननीय सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजा जा चुका है। उसकी प्रति चैम्बर कार्यालय में उपलब्ध है।

EDITORIAL BOARD

Editor
O. P. Tibrewal
Secretary General

Ramchandra Prasad
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296